167/16

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या-166/2016

1- गिरधारीसिंह पुत्र भंवरसिंह | जाति राजपूत निवासी ग्राम लामिया
2- स्वरूप कवर पत्नी गिरधारीसिंह | तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- गोपाल पुत्र दुर्गाराम जाति जाट
2- सुनितादेवी धर्मपत्नी मदनलाल जाति जाट
3- सन्तोषदेवी धर्मपत्नी मूलचन्द जाति अहिर
4- मूलचन्द पुत्र हणमान जाति अहिर
5- किशनलाल पुत्र हणमान जाति अहिर
6- निर्मला कवर पुत्री जयकवर व दयालसिंह जाति राजपूत
7- अजीतसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत
8-बलबीरसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत
9-किशनसिंह पुत्र शिम्भूसिंह जाति राजपूत
10-किशनसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत

निवासीगण ग्राम लामिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर ।

11-विजेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत

12-मगलसिंह पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत निवासी लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल निवासी 197/5 वार्ड न0-5 15 गली न0-5 सूर्यनगर हिसार ।

13- राजेन्द्रसिंह पुत्र सुखसिंह (मृत)
13/1- अनिता पत्नी स्व0 राजेन्द्रसिंह
13/2- मुकेशसिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्रसिंह
13/3- गंगा पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह
13/4- सोनिया पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह

जाति राजपूत निवासी लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल निवासी 197/5 वार्ड नं0-5 गली नं0-5 सूर्य नगर हिसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

14-गीताकंवर पुत्री सुखसिंह
15-विजयलक्ष्मी पुत्री सुखसिंह
16-भगवतसिंह पुत्र सम्पतसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

17-नारायण पुत्र नानगा
18-पतासी पत्नी झुथाराम
19-श्रवणकुमार पुत्र झुथाराम
20-रामसहाय पुत्र झुथाराम
21-मोतीलाल पुत्र सुवालाल
22-कन्हैयालाल पुत्र सुवालाल
23-भागीरथमलपुत्र सुवालाल
24-मोहन पुत्र बोदू
25-धापू पत्नी बोदू
26-छोटी पत्नी महादेव
27-झाबर पुत्र बोदू
28-कुम्भाराम पुत्र महादेव
29-सीताराम पुत्र महादेव
30-रामेश्वरी पत्नीबनवारी
31-सन्तोष पत्नी भागचन्द
32-सागर पुत्र भगता
33-गीतादेवी पत्नीसागरमल
34-संतोषदेवी पत्नी चौथमल
35-सुखीदेवी पत्नी सुवालाल

जाति जाट निवासी ग्राम लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

36- पटवारी हल्का लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

37- उप पंजीयक दांतारामगढ जिला सीकर ।

38- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 8-2-2016 एवं अन्तिम
डिक्री दिनांक 16-8-16 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ।

---0---

प्रबन्ध अधिकारी एव

उपस्थिति-

1-श्री सोहनलाल चौधरी एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सागरमल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 29.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 ने अदालत मातहत में दावा बाबत बंटवारा उद्घोषणा व स्थायी ~~निषेध~~ निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 32 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 485 रकबा 1.19 हैक्टर किता-1 रकबा 1.19 हैक्टर, ख0नं0507 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 0.26 हैक्टर, ख0नं0 487 रकबा 3.73 हैक्टर, ख0नं0489 रकबा 1.76 हैक्टर, ख0नं0 490 रकबा 0.82हैक्टर, ख0नं0 492 रकबा 1.78 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 8.09 हैक्टर, खसरा नं. 491 रकबा 2.15 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 2.15 हैक्टर ख0नं0 493 रकबा 1.07 हैक्टर, ख0नं0 494 रकबा 2.45 हैक्टर, ख0नं0 564 रकबा 3.26 हैक्टर, ख0नं0 565 रकबा 1.90 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 8.68 हैक्टर वाके ग्राम लाम्बिया में स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी संख्या-1 का 1/12 वादिया सं0-2 का हिस्सा 17/144, वादिया सं0-3 का 25/144 एवं वादी सं0-4 व 5 का 5/24 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 32 ने अपने हिस्सेनुसार मौके पर आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। वादीगण की कुल 7.5551 हैक्टर भूमि बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जे एवं काश्तशुदा है जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज है। मौके पर अपने हिस्सेनुसार सींव नींव कायम कर रखी है किन्तु राजस्व रेकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं हुआ जिससे वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विकास नहीं कर सकता। अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का विधिवत बटवारा कर खाता अलग अलग किया जावे। इस पर अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव मगवाये जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी की। जिससे

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एव पत्रावली है । अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8-2-2016 ही प्रथम दृष्टया अवैध होने के कारण निर्णय एवं अन्तिम डिक्री भी अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।योग्य अदालत मातहत ने निर्णय एव प्राथमिक डिक्री दिनांक 8-2-2016 निम्न शर्तों के अनुसार प्रस्ताव मांगे गये:-

1- यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवाये ।

2- पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

3- यदि उपरोक्त बिन्दू संख्या- । व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारो के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बटटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय ने नियत तिथि दिनांक 4-3-2016 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें ।

भू-अभिलेख निरीक्षक ने किसी भी अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव से पूर्व कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या-। से साजिश कर कार्यालय में बैठकर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर लिया जिस पर तैयारी की भी कोई तारीख दर्ज नहीं की ।अदालत मातहत ने इस तैया पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार नहीं थे ।इसके बाद भी अदालत मातहत ने अन्तिम डिक्री जारी करने मे कानूनी भूल की है ।विभाजन प्रस्ताव मौका स्थिति के अनुसार नहीं थे। अपीलान्ट भूमि खसरा नं0489 रकबा 1.76 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जबकि विभाजन प्रस्ताव में रेस्पोडेन्ट संख्या-। से 5 की हिस्सेदारी में दर्शाई दी गई । इसके अलावा अपीलान्ट संख्या-2 जो अपीलान्ट संख्या-। की पत्नी है ने भूमि ख0नं0 493 कि मे से जमीन खरीदी थी तथा ख0नं0 493 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अपीलान्टस् के रास्ते के प्रयोजन में काम में आ रही है परन्तु गलत रूप से प्रति

ख0नं0 493 की पश्चिमी दिशा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 के हिस्से में दर्शाई दी गई है। अपीलान्ट के हिस्से की भूमियों में आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई ।इसके बाद भी अदालत मातहत ने विधि के विपरित अन्तिम डिक्री जारी कर दी। विभाजन प्रस्ताव एवं आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा तथा ना ही राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा बनाये गये नियमों की पालना की है। इस कारण भी अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री कानून के विपरित है ।अपीलान्ट को अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 ने दिनांक 18-10-2016 को अपीलान्ट को यह कथन किया इस आराजी का निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ से हमारे नाम करवा लिया है तथा खाता भी खुलवा लिया । इस पर अपीलान्ट द्वारा जानकारी करके दिनांक 19-10-16 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल का आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 20-10-2016 को प्राप्त हुई । जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने प्रार्थमिक डिक्री ही विधि विरूद्ध पारित की है ।गिरदावर ह.का ने विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है वो हमे बिना सूचना दिये कार्यालय मे बैठकर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 से साज कर तैयार कर भिजवाये जो मौके के विपरित है ।अपीलान्ट के कब्जा काश्त की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 के हिस्से में दिखाई है ।इसका मुख्य कारण रहा कि हमें तो मौके के विभाजन प्रस्ताव की कोई सूचना नही दी और ना ही मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है । अपीलान्ट को विभाजन मे जो आराजी दी है उसमे आवागमन की भी कोई व्यवस्थान नही की गई । बंटवारा प्रस्ताव पर एक

प्रबन्ध अधिकारी एव

पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है ।इससे स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव कार्यालय मे बैठकर मौके पर गये बिना तैयार किया गया है ।बटवारा प्रस्ताव मौके के विपरित तैयार कर भिजवाये है ।ख0न0 493 मे से अपीलान्ट संख्या-2 जो अपीलान्ट संख्या-1 की पत्नी है उसने भूमि क्रय की है ।वह भूमि भी बंटवारा प्रस्ताव मे अपीलान्ट को नही दी गई ।ख0न0 489 सम्पूर्ण अपीलान्ट गिरधारी के कब्जा काश्त मे रहा है उसमे 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट गोपाल वगैहरा को दे दिया जबकि इस खसरा नम्बर पर सम्पूर्ण पर ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है ।विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के बंटवारा नियमो के अनुसार नही किया गया। नियमो की अनदेखी कर बटवारा प्रस्ताव भिजवाया है । जिसमे रास्तो सम्बन्धी त्रुटि रखी है ।अपीलान्ट के हिस्से में आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं की। इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया ।अदालत मातहत में प्रतिवादीगण के नोटिस चस्पांदगी पर तामिल मानकर आदेश दिया है । सभी प्रतिवादीगण की तामिल चस्पांदगी से होना दर्ज है।अर्थात हमें सुनवाई का किसी भी प्रकार से कोई अवसर नहीं दिया है।इस कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी भी हमें नहीं हुई ।दिनांक 18-10-2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 ने अपीलान्ट को विवादित आराजी का फैसला कराने एवं खाते अलग अलग कराने की बात कही जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 19-10-16 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल 20-10-16 को प्राप्त हुई । जिससे यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद है । अतः अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हे दावे की जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट के पास दावे के नोटिस तामिल कुनिन्दा लेकर गया। इन्होने नोटिस लेने से इन्कार किया है । इन्होने कभी भी तामिल कुनिन्दा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है ।दो गवाहों के समक्ष नोटिस नही लेने पर मना किया गया ।तामिल पर्याप्त मानकर

भू प्रबन्ध अधिकारी एव

आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया इनकी तामिल गलत मानी जाती है तो इन्हे अपील में नहीं आना चाहिये था इन्हे अदालत मातहत में ही आदेश-9 नियम-13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था । अपील में यह उज्र नहीं उठा सकते कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ।विभाजन पर सहमति रही है । प्रतिवादीगण का कोई काउण्टर दावा नही है ।दावे में कुल 33-34 पक्षकार है किसी को भी बंटवारा से ऐतराज नहीं है ।बंटवारा प्रस्ताव जमाबन्दी के हिस्सेनुसार किया गया है । मौके पर कब्जा काश्त का पूरा ध्यान रखा गया है ।दावा दिनांक 29-12-14 को पेश किया गया जिसका निर्णय 16-8-16 को किया गया है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि अदालत मातहत ने दावा का निर्णय एक-दो पेशी में कर दिया हो । विधिवत सुनवाई करते हुये निर्णय पारित किया गया है । मृतक जतनकंवर के कायम मुकाम की कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है। दावा दायरी से पूर्व जतन कवर की मृत्यु हुई हो इसकी जानकारी नही है । जतनकंवर के सम्मन पर मृत्यु की सूचना आने पर कायम मुकाम की कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है।अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नही है अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है ।दावा बंटवारा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसके कारण दावा का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना उचित मानते हैं तथा अपीलान्ट की अपील में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है । जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 में ख0नं0 493, 494, 564, 565 कुल किता-4 रकबा 8.68 हैक्टर एवं ख0नं0 485 रकबा 1.19 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 1.19 हैक्टर, ख0नं0 507 रकबा 0 26 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 0.26 हैक्टर, ख0नं0 487, 489, 430, 492 कुल किता-4 रकबा 0.09 हैक्टर, ख0नं0 491 रकबा 2.15 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 35 की संयुक्त

कब्जा काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है । विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भिजवाये गये है ।अपीलान्ट को उसके हिस्से से आराजी कम नहीं दी गई है ।विभाजन प्रस्ताव आने के बाद सहमति के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की गई ।अपीलान्ट की ओर से कोई काउण्टर वाद नहीं है ।अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि बंटवारा प्रस्ताव पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है । बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है । दूसरा सवाल यह कि अपीलान्ट का कथन है कि उनकी तामिल पर्याप्त नहीं हुई ।अपीलान्ट को तामिल का प्रश्न अपील में नहीं उठाकर अदालत मातहत मे आदेश-9 नियम-13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही पेश करना चाहिये था । रेस्पोडेन्ट के इस कथन से न्यायालय सहमत है । रेस्पोडेन्ट संख्या-12 से 14 की ओर से फर्जी हस्ताक्षकर कर वकालतनामा पेश करना बताया है किन्तु इस बाबत भी कोई शिकायत रेस्पोडेन्ट संख्या-12 से 14 द्वारा नहीं की गई है ।इस बिन्दू को केवल रेस्पोडेन्ट संख्या-12 से 14 ही उठा सकते हैं ।इस बाबत अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं ।तथा अपीलान्ट का यह कथन की जतन कंवर जो मृत थी उसके विरूद्ध दावा पेश किया गया है ।प्रतिवादी जतनकंवर के नोटिस पर मृत्यु की सूचना आने पर कायम मुकाम की कार्यवाही की जाकर ही दावे में निर्णय किया गया । अपीलान्ट का यह कथन भी मानने योगय नहीं है । विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है । अदालत मातहत ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति होने पर ही कोई आपत्ति नहीं आने पर अन्तिम डिक्री जारी की है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 8-2-2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 16-8-2016 यथावत रखा जाता है । अपील सं0-167/16 का निर्णय भी इसी अनुसार है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.6.2018 को सुनाया गया ।

29/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर